

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—123/2023 (2023/284) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1 भैरूलाल पुत्र मांगू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 शिवलाल पुत्र मांगू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 बद्रीलाल पुत्र मांगू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1 पुष्पाकंवर पत्नि गिरधारीसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 गिरधारीसिंह पुत्र पदमसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 गोपीलाल पुत्र उदयराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 सन्दीपकुमार पुत्र हेमन्तकुमार व्यास निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 बंशीलाल पुत्र गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 नानूराम पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 कंचनकंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9 जितेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10 दशरथकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11 मरुधरकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12 कैलाशकंवर पुत्री चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13 गिरधारीसिंह पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14 गोपालकंवर पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15 नारायणसिंह पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16 लाडकंवर पत्नि चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17 महावीरसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18 रतनकंवर पुत्री शंकरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19 रामसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20 लादुलाल पुत्र बन्ना प्रजापत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1585 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1586 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 2305/1595 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2307/1596 रकबा 0.21 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.15 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 407 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 2311/2283 रकबा 0.3750 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 695 व आराजी संख्या 1566 रकबा 0.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 406 व आराजी संख्या 1560 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या



(Handwritten signature)

2293/1558 रकबा 0.0320 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1320 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 391 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.09.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.08.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी संख्या 2, 20 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम केमूणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1585 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1586 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 2305/1595 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2307/1596 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 407 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 2311/2283 रकबा 0.3750 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 695 व आराजी संख्या 1566 रकबा 0.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 406 व आराजी संख्या 1560 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2293/1558 रकबा 0.0320 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1320 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 391 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोधसिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—123 / 2023 (2023 / 284) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1 भैरूलाल पुत्र मांगू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 शिवलाल पुत्र मांगू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 बद्रीलाल पुत्र मांगू कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1 पुष्पाकंवर पत्नि गिरधारीसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 गिरधारीसिंह पुत्र पदमसिंह चारण निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 गोपीलाल पुत्र उदयराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 सन्दीपकुमार पुत्र हेमन्तकुमार व्यास निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 बंशीलाल पुत्र गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 नानूराम पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 कंचनकंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9 जितेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10 दशरथकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11 मरूधरकंवर पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12 कैलाशकंवर पुत्री चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13 गिरधारीसिंह पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14 गोपालकंवर पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15 नारायणसिंह पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16 लाडकंवर पत्नि चतरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17 महावीरसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18 रतनकंवर पुत्री शंकरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19 रामसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20 लादुलाल पुत्र बन्ना प्रजापत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 23.01.2024 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व



(Handwritten signature)

ग्राम केमूणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1585 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1586 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 2305/1595 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2307/1596 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 407 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाशत की आराजी संख्या 2311/2283 रकबा 0.3750 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 695 व आराजी संख्या 1566 रकबा 0.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 406 व आराजी संख्या 1560 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2293/1558 रकबा 0.0320 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1320 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 391 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुबोधसिंह चारण)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)